न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौंकरिया, RAS

अपील संख्या 141 / 2022

1 मालाराम पुत्र सुखाराम जाति माली निवासी ढ़ाणी कुलियाला ग्राम संजयनगर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 भाताराम पुत्र श्योपालराम।
2 मालाराम पुत्र श्योपालराम।
3 सत्यनारायण पुत्र श्योपालराम।
4 भोलाराम पुत्र श्योपालराम।
5 सन्तोष पुत्री श्योपालराम।
6 छाजूराम पुत्र नाहरूराम।
7 झुमरराम पुत्र नाहरूराम।
8 लाली बाई पुत्री नाहरूराम।
9 भगवती पुत्री नाहरूराम।
10 कालूराम पुत्र गुलाराम।
11 मदन पुत्र भानाराम।
12 ताराचन्द पुत्र भानाराम।
13 रामजीलाल पुत्र भानाराम।
14 फुलचन्द पुत्र बीजाराम।
15 कैलाश पुत्र बीजाराम।
16 शैतान पुत्र बीजाराम।
17 शिम्भुराम पुत्र बीजाराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

18 हजारीलाल पुत्र प्रभूराम।
19 सीताराम पुत्र प्रभूराम।
20 नागरमल पुत्र प्रभूराम।
21 मंगलचन्द पुत्र प्रभूराम।
22 महेन्द्र पुत्र प्रभूराम।
23 मदनलाल पुत्र सुखाराम।
24 मातादीन पुत्र रामलाल।
25 गीता देवी पत्नी बाबूलाल।
26 शंकरलाल पुत्र बाबूलाल।
27 मूलचन्द पुत्र बाबूलाल।
28 रूड़ी बाई पुत्री बाबूलाल।
29 सुन्दरलाल पुत्र रामलाल।
30 गीता पुत्री रामलाल।
31 सन्तरा पुत्री रामलाल।
32 माली बाई पुत्री रामलाल।
33 छाजूराम पुत्र गोरूराम।
34 भागूराम पुत्र गोरूराम।
35 उमराव पुत्र गोरूराम।
36 भाती बाई पुत्री गोरूराम।
37 मौसमी बाई पुत्री गोरूराम।
38 बनारसी पत्नी गोरूराम समस्त जाति माली निवासीगण ढ़ाणी कुलियाला ग्राम संजयनगर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
39 भगवान सिंह पुत्र मूंगसिंह।
40 उमराव सिंह पुत्र मूंगसिंह।
41 प्रभूसिंह पुत्र मुंगसिंह।
42 जगदीश सिंह पुत्र मूंगसिंह।
43 उषा कंवर पत्नी मालसिंह।
44 सुरेन्द्र सिंह पुत्र मालसिंह।

45 राकेश सिंह पुत्र मालसिंह।
46 राजेन्द्र सिंह पुत्र श्योनारायण सिंह।
47 श्योबक्स सिंह पुत्र गणपत सिंह।
48 मानसिंह पुत्र गणपत सिंह।
49 हरिसिंह पुत्र मूलसिंह।
50 जगदीश सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह।
51 समदर सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह।
52 नागर सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह।
53 विक्रम सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह।
54 नरेश सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह।
55 हनुमान सिंह पुत्र मूलसिंह।
56 प्रभूसिंह पुत्र मूलसिंह।
57 रोहिताश सिंह पुत्र मूलसिंह।
58 मदनसिंह पुत्र मूलसिंह।
59 महेन्द्र सिंह पुत्र मूलसिंह।
60 गिरवर सिंह पुत्र मूलसिंह।
61 कृष्ण सिंह पुत्र मूलसिंह।
62 ग्यारसी सिंह पुत्र सुगन सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण ढ़ाणी मीनावाली ग्राम संजयनगर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
63 राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट विरूद्व निर्णय व आदेश दिनांक 02.08.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी उनवानी भाताराम आदि बनाम मालाराम वगैरह प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मुकदमा नम्बर 30/2017

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

उपस्थिति :

1. श्री कमलेश, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 11.12.23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 30/2017 में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 22 की ओर से एक आवेदन पत्र विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी के यहां इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम संजय नगर तहसील खेतड़ी की खाता संख्या 224 भूमि खसरा नम्बर 1079,1080,1081 कुल किता 3 कुल रकबा 0.14 हैक्टेयर इनके नाम से है इनके उक्त खसरा नम्बर में जाने के लिये रास्ता ढ़ाणी कुलियाला से भूमि खसरा नम्बर 1084,1060,1057 से होकर गुजरता है जो करीब 100 साल पुराना होना बताया, जिसके सम्बंध में बताया गया कि भूमि खसरा नम्बर 1060 राजकीय 1057 अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 17 व खसरा नम्बर 1084 प्रार्थना पत्र में अनावेदक नम्बर 18 लगायत 41 की खातेदारी की होना बताया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने ए से बी हिस्से पर पत्थरो का पारा लगाकर रास्ते पर अतिक्रमण कर रखा है। जो हटाकर आवेदकगण को अपने उपर वर्णित खसरा नम्बर में जाने के लिये 12 फीट चौड़ा रास्ता धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिलवाया जाने की रिलीफ चाही जो विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के बिना कानूनी बिन्दुओ पर गौर किये विचाराधीन निर्णय से स्वीकार कर ली है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
[illegible] (कैम्प झुन्झुनूं)

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष आदेशिका दिनांक 06.10.2020 में स्पष्ट अंकन आ चुका है कि अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 17 ने खसरा नम्बर 1057 में अपना हिस्सा विक्रय कर दिया है। इसमें उनका कोई हक हिस्सा नही है। ऐसी स्थिति में इनकी सहमती अंकन पर विचाराधीन निर्णय पारित किया जाना विधि सम्मत नही माना जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 1057,1084,1060 परस्पर विपरित दिशा में अवस्थित है। इसकी पुष्टि नक्शाशीट के अवलोकन मात्र से होती है।ऐसी स्थिति में दिया गया रास्ता किसी भी प्रकार से विधि सम्मत नही माना जा सकता है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट की पुस्त पर अंकित नजरी नक्शा एवं मूल सर्वेशीट की नकल में खसरा नम्बर 1057,1084 व 1060 की दर्शायी गई स्थिति परस्पर विरोधाभाषी है। विचारण न्यायालय में मूल सर्वे शीट से मौका रिपोर्ट के नजरी नक्शे का मिलान किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। अत अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष आदेशिका दिनांक 06.10.2020 में स्पष्ट अंकन आ चुका है कि अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 17 ने खसरा नम्बर 1057 में अपना हिस्सा विक्रय कर दिया है। इसमें उनका कोई हक हिस्सा नही है। ऐसी स्थिति में इनकी सहमती अंकन पर विचाराधीन निर्णय पारित किया जाना विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 1057,1084,1060 परस्पर विपरित दिशा में अवस्थित है। इसकी पुष्टि नक्शाशीट के अवलोकन मात्र से होती है।ऐसी स्थिति में दिया गया रास्ता किसी भी प्रकार से विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

जहां तक मौका रिपोर्ट का प्रश्न है विचारण न्यायालय में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट की पुस्त पर अंकित नजरी नक्शा एवं मूल सर्वेशीट की नकल में खसरा नम्बर 1057,1084 व 1060 की दर्शायी गई स्थिति परस्पर विरोधाभाषी है। विचारण न्यायालय में मूल सर्वे शीट से मौका रिपोर्ट के नजरी नक्शे का मिलान किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.12.23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर